

14वीं वित्त के तहत कनीय अभियन्ता का अनुबन्ध पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आपत्ति एवं निराकरण
जिला- धनबाद ।

क्र०	रोल न०	आवेदक का नाम	आपत्ति का प्रकार	आपत्ति का निराकरण	अभ्युक्ति
1	J.E1169	Ashutosh kumar	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुभव का अंक दर्ज नहीं है । 2. अभ्युक्ति कॉलम में कम्प्यूटर में वांछित अंक नहीं रहने संबंधी प्रविष्टि अंकित है 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँचोपरान्त पाया गया वस्तु बिहार से निर्गत अनुभव पत्र 1.2.2016 से 27.10.2016 तक 8 माह 27 दिन के लिए 1 एक अंक दिया जाता है । कम्प्यूटर में उत्तीर्ण है एवं इसका मार्क्स कुल 2 अंक में पूर्व से जोड़ा हुआ है । 	अनुभव का 1 एक अंक जोड़ने पर कुल प्राप्तांक 63.2 होता है । वर्तमान पता बापूनगर, धनबाद तथा स्थायी पता पू० सिंहभूम जिला है ।संशोधित प्राप्तांक के आधार पर सामान्य वर्ग की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 7 पर इनका नाम दर्ज की लिया गया है ।
2	J.E1061	Zahid Hussain	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र भरने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं कर सका था। कम्पनी के नियमानुसार माह जनवरी में मेरा अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है,अतः इसे स्वीकार किया जाय । 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँचोपरान्त पाया गया चूँकि आवेदन पत्र भरने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं गया है इसलिए परीक्षा के बाद अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 	आवेदक के कुल प्राप्तांक में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी ।
3	J.E1456	Santosh kumar Hansda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor of Engineer के लिए अनुमान्य अतिरिक्त 10 दस अंक नहीं दिया गया है । 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँचोपरान्त सही पाया गया। Bachelor of Engineer के लिए अनुमान्य अतिरिक्त 10 दस अंक दिया गया । इस 10 अंक मिलाकर आवेदक का कुल प्राप्तांक-59.11 है । 	59.11 अंक प्राप्त कर st कोटि के वरीयता सूची में 1 नं० स्थान प्राप्त करता है। इसके अनुसार सूची में सुधार कर ली गई है।



श्रीमान

4	J.E1090	Ras Bihari mahato	1. आवेदक का कहना है कि अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। लेकिन जो प्रमाण पत्र जैसे (NOC, Identity card, Trasfer certificate & Joining letter) संलग्न है, इससे प्रमाणित होता है कि मेरा कार्य अनुभव है। इन सब प्रमाण पत्र को जिला पंचायत राज पदाधिकारी देवघर एवं गढ़वा में स्वीकार किया गया है। अतः इसके आधार पर अनुभव का अंक दिया जाय।	1. जॉचोपरान्त पाया गया आवेदक द्वारा अलग से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। संलग्न (NOC, Identity card, Trasfer certificate & Joining letter) पत्र के आधार पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जा सकता है। अन्य जिला के नियुक्ति प्रक्रिया को आधार मान कर इसके अनुसार अनुभव के अंक की मांग ऊचित नहीं है।	आवेदक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर संलग्न कागजात (NOC, Identity card, Trasfer certificate & Joining letter) पत्र के आधार पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जा सकता है
5		Md.Sajid Ansari & othe 5	1. आवेदकों को कोई निजी आपत्ति नहीं है। 2. चयन प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव दिया गया है। 3. अन्य जिला के चयन प्रक्रिया के अनुसार उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को दिए गए अंक के अनुसार प्रतिशत को आधार मानते हुए अंक देने की वकालत की गई है।	1. जॉचोपरान्त पाया गया इस पर कोई विचार नहीं किया गया। 2. यह राज्य स्तरीय विषय है। 3. सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निदेश के अनुसार चयन प्रक्रिया सम्पन्न करायी जा रही है।	इन लोगों का परीक्षा परिणाम यथावत रहेगा।
6	J.E1040	Anuradha kumari	1. परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हूँ, मेरे कॉपी की पुनः जाँच की जाय।	1. जॉचोपरान्त पाया गया J.E Exam. के performance का प्रतिवेदन सिस्टम के द्वारा ही स्वतः तैयार हो जाता है। इसलिए इसके पुनर्मुल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।	इनका परीक्षा परिणाम यथावत रहेगा।

12

7	J.E1120	Bikesh kumar sharma	1. अधि० सं० 689 दिनांक 26.2.2016 में सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता में 60 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता है। जब नियुक्ति डिप्लोमाधारी का है तो बी० टेक को लेकर फिर उसे 10 अंक ग्रेसिंग देने का क्या तात्पर्य है। जबकि आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। डिप्लोमाधारियों को मौका देने के लिए बी.टेक वालों को 10 अंक नहीं दिया जाय।	1. जॉचोपरान्त पाया गया आवेदक को परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई निजी आपत्ति नहीं है बल्कि सरकार की नीति पर है इसलिए आपत्ति को निरस्त किया जा सकता है।	इनका परीक्षा परिणाम यथावत रहेगा।
8	J.E1359	Anand abhishek	1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंक का प्रतिशत 85.3 गलत है, इसका सही प्रतिशत 76.89 है। अतः इसमें सुधार कर अंक जोड़ा जाय।	1. जॉचोपरान्त पाया गया आवेदक के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंक का प्रतिशत सुधारकर 76.89 कर दिया गया है। इसके पश्चात आवेदक के प्राप्तांक का कुल योग 67.44 है।	संशोधित कुल प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रमांक में आवेदक का स्थान क्रम 3 होता है। इसके अनुसार अंतिम सूची में सुधार कर लिया गया है।
9	J.E1338	Inamul haque	1 आवेदक का आक्षेप है कि विषय ज्ञान में 11 अंक के स्थान पर 04 अंक दिया गया है जो गलत है। अतः प्राप्तांक 4 में और 7 अंक जोड़कर 11 अंक दिया जाय। 2. सितम्बर, 2014 से फरवरी, 2017 तक कुल 2 वर्ष 6 माह का अनुभव हो रहा है, जिसके लिए 5 अंक होना चाहिए था परन्तु 3 अंक ही दिया गया है।	1. जॉचोपरान्त पाया गया विषय ज्ञान का अंक ऑन लाईन ली गई परीक्षा के आधार दिया गया है। इसमें J.E. Exam. के performance का प्रतिवेदन सिस्टम के द्वारा ही स्वतः तैयार हो जाता है। इसलिए इसके पुनर्मुल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। 2. अनुभव के संबंध में समर्पित ज्ञान विज्ञान समिति, झारखण्ड के पत्रांक जी.वी.एस.तोप 001/16-17 दिनांक 14.4.2016 के अनुसार इनका कार्य अनुभव सितम्बर, 2014 से 14.4.2016 तक का अवधि 1 वर्ष 7 माह होता है। जिसके लिए 3 अंक अनुभव के लिए दिया गया है, जो नियमानुकूल है।	कुल प्राप्तांक में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। इसलिए इनके परीक्षाफल में किसी तरह का अन्तर नहीं होगा। प्राप्त शिकायत मान्य नहीं होगा।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
धनबाद।


जि० प्र० राज० न्याय
धनबाद